(222)

(329)

नि/निग0/2017/4590

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

जिला रीवा म0प्र0

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

विलोपित/विलोपित

Rs 40/-

प्राणनाथ तिवारी पिता स्व0 श्री भगवतराम तिवारी उम्र 75 साल पेशा- कृषि एव सेवा निवृत्त शिक्षक निवासी ग्राम डोल (पटेहरा) थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 ..... निगरानी कर्ता

बनाम

सूर्यकली पत्नी श्री माताराम दुबे पुत्री स्व0 श्री कृष्ण स्वरूप तिवारी उम्र 45 साल निवासी ग्राम कुरकुटिया पो0 आ0 सडबा थाना व तहसील कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर (उ0प्र0) हाल मुकाम -ग्राम डोल (पटेहरा) थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 .... गैर निगराकार

प्रा0 श्री शंकरशरण साद तिवारी द्वारा प्र/21.11.17

रजिस्ट्रार आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (लिंक कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ·

- -

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय हनुमना के समक्ष लंबित राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक - 1789-27/2016-17 राजस्व प्रकरण सूर्यकली विरूद्ध प्राणनाथ व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 16·11·17 को अपास्त किए जाने बावत ।

- -

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त मे सार

- - - - - - - - - -

यह निगरानी न्यायालय श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के समक्ष लंबित प्रकरण राजस्वप्रकरणक्रमांक 1789-27/16-17 राजस्व प्रकरण सूर्यकली विरूद्ध प्राणनाथ तिवारी व अन्य मे पारित आदेश दि0 16·11·2017 से परिवेदित होकर निगरानी कर्ता द्वारा यह निगरानी श्री मान्

ह0·· प्राणनाथ तिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 4590 जिला–रीवा

प्राणनाथ तिवारी / सूर्यकली दुबे

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शंकेश्वर प्रसाद तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 178 / ए–27 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	